293

संख्याः– / II–2013–04(05)/2012, टी0सी0–4

प्रेषक,

सुबर्द्धन,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

सिंचाई अनुभाग देहरादून : दिनांक 22 मार्च, 2013

विषय : **विशेष योजनागत सहायता (एस0पी0ए0) के अन्तर्गत बैराज की पुनर्स्थापना, पुनरोद्धार एवं आधुनिकीकरण की योजना की स्वीकृति एवं धनावंटन के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या–2225/मु0अ0वि0/नियोजन/पी–27(एस0पी0ए0), दिनांक 07.11.2012, पत्र संख्या–83/मुअवि/नियोजन/पी–27(एस0पी0ए0), दिनांक 23.01.2013 एवं मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के अर्द्धशा0प0 सं0 161/37–सी/रा0यो0आ0/2009(टी0सी0), दिनांक 05.02.2013 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद नैनीताल के रामनगर विकासखण्ड में कोसी बैराज की पुनर्स्थापना, पुनरोद्धार एवं आधुनिकीकरण की योजना के लिए गठित आगणन की लागत ₹ 1465.84 लाख के सापेक्ष टी0ए0सी0 वित्त विभाग द्वारा औचित्यपूर्ण पायी गयी धनराशि ₹ 1410.17 लाख (₹ 759.32 लाख सिविल कार्यो हेतु + ₹ 650.85 लाख अधिप्राप्ति नियमावली के अन्तर्गत कराये जाने वाले कार्यो हेतु) की सैद्धान्तिक आधार पर वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 में संलग्न बी0एम0–9(1) के अनुसार ₹ 200.00 लाख (₹ दो करोड़ मात्र) पुनर्विनियोग के माध्यम से स्वीकृत करते हुए व्यय हेतु आपके निवर्तन पर निम्नलिखित प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(i) योजना के सम्बन्ध में यथाशीघ्र व्यय वित्त समिति का अनुमोदन प्राप्त कर लिया जायेगा एवं तदनुसार स्वीकृति के सम्बन्ध में यथाआवश्यक संशोधन करा लिया जायेगा।

(ii) सम्बन्धित धनराशि का व्यय केवल उन्हीं योजनाओं के अन्तर्गत किया जाय, जिनके लिए यह स्वीकृति जारी की जा रही है। धनराशि के अन्यत्र विचलन की दशा में सम्बन्धित अधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

(iii) धनराशि का आहरण व व्यय वास्तविक आवश्यकता के अनुसार किस्तों में किया जायेगा।

(iv) धनराशि व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की आगणन पर तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त करा ली जायेगी।

(v) उक्त व्यय में बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका, उत्तराखण्ड अधिप्राप्ति नियमावली, 2008 के सुसंगत प्राविधानों तथा शासन द्वारा मितव्यता के विषय में समय–समय पर जारी किये गये आदेशों एवं निर्देशों का पूर्ण रूप से पालन किया जाय।

(vi) जहाँ आवश्यक हो कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व भूगर्भ वैज्ञानिक से उपयुक्तता के सम्बन्ध में आख्या प्राप्त कर ली जाय।

(vii) मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारियों को अवमुक्त धनराशियों का विवरण इस हेतु निर्धारित बी0एम0 प्रपत्र पर उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय एवं उपयोगिता के सम्बन्ध में आवश्यक प्रमाण–पत्र निर्धारित प्रारूप पर प्रत्येक माह के अन्त में नियमानुसार निर्धारित तिथि तक महालेखाकार उत्तराखण्ड राज्य सरकार एवं वित्त विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(viii) कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

क्रमशः.........2

(ix) कार्य करने से पूर्व अनुमन्य दर सूची आधार पर गठित विस्तृत आगणन की तकनीकी स्वीकृति सक्षम स्तर से प्राप्त करने के उपरान्त ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

(x) त्रैमासिक रूप से कार्य की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण एवं व्यय विवरण शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा और स्वीकृत की जा रही धनराशि का दि0 31 मार्च, 2013 तक पूर्ण उपभोग कर लिया जायेगा।

(xi) धनराशि आहरण सी0सी0एल0 हेतु निर्धारित नियमान्तर्गत ही किया जायेगा।

(xii) कार्य करने से पूर्व समस्त औपचारिकतायें तकनीकी दृष्टि को मध्यनजर रखते हुए एवं विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों को ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य को सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

(xiii) निर्माण सामग्री को उपयोग में लाने से पूर्व सामग्री का परीक्षण प्रयोगशाला से अवश्य करा लिया जाय तथा उपयुक्त सामग्री ही प्रयोग में लायी जाय।

(xiv) आगणन में प्राविधानित डिजायन एवं मात्राओं हेतु सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता एवं अधीक्षण अभियन्ता पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

2. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012–13 के आय–व्ययक की अनुदान सं0–20 के आयोजनागत मद के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 4700–मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय–18–बांध/बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार–800–अन्य व्यय–02–रखरखाव–03–बांध/बैराज का निर्माण एवं आधुनिकीकरण/पुनरोद्धार–24–वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या–1065/XXVII(2)/2012, दिनांक 22 मार्च, 2013 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्न : यथोक्त।

भवदीय,

(सुबर्द्धन)
सचिव।

संख्याः– 168 (1)/ II–2013–04(05)/2012 टी0सी0–4, तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. महालेखाकार (ऑडिट) उत्तराखण्ड वैभव पैलेस सी–1/105, इन्दिरानगर, देहरादून।
2. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
3. निजी सचिव, मा0 सिंचाई मंत्री जी को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ ।
4. निदेशक, राजकोषीय नियोजन तथा संसाधन निदेशालय, सचिवालय ।
5. आयुक्त, कुमॉऊ मण्डल, नैनीताल।
6. जिलाधिकारी, नैनीताल।
7. कोषाधिकारी, नैनीताल।
8. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग–2, उत्तराखण्ड शासन।
10. नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
11. बजट निदेशालय, उत्तराखण्ड शासन।
12. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवायें, उत्तराखण्ड, 23 लक्ष्मी रोड, देहरादून।
13. गार्ड फाईल।

~~संलग्न : यथोक्त।~~

आज्ञा से,

(प्रेम सिंह बिष्ट)
अनु सचिव।